




10-5-22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्राथी उप है।  
वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 22-7-22 को पेश 

22/07/22


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्राथी उप है।  
वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 25/8/22 को पेश  
प्रतिवादी श्री श्री श्री A.D. ने तींद्रल  
लक्ष्मण शर्मा को प्रतिपत्र भवतः दिष्टा  
सा। 

25-8-22


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी / प्राथी उप है।  
वकील पक्षकारान उप है। पूर्व आदेशानुसार  
पत्रावली दिनांक 3-11-22 को पेश  
प्रतिवादी श्री श्री श्री A.D. ने तींद्रल  
लक्ष्मण शर्मा को प्रतिपत्र भवतः दिष्टा  
सा। 

श्रीमान जिला कलक्टर महो. जयपुर के  
आदेशानुसार मूल पत्रावली नव सृजित  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर  
को प्रेषित की / जानी है।

3/11/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा.  
राजकीय कार्यवश दौरे पर पधारे  
हुए है। अतः पूर्व आदेशानुसार  
पत्रावली दि. 11/01/23 को पेश हो। 

11/01/2023

पत्रावली पेश हुई। उच्च पक्षकारान  
आपत्तिका उपस्थित अजर्नी स.  
द लगातार 5 की तलबी हेतु  
Regd AD तलबाना पेश करने के  
लिए पूर्व में कई बार प्रस्ताव दिये  
जा चुके हैं। जर्नी को अपाकर्षण की  
तलबी हेतु तलबाना पेश करने के  
लिए 50 Rs की CAAT पर संक्षिप्त  
प्रस्ताव दिये जाते हैं। आगामी गरीब  
पेशी दि. 30/11/2023 से पूर्वी तक  
तलबाना पेश नहीं करने पर निम्नलिखित  
कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।  
पत्रावली दि. 30/11/2023 को पेश  
हो। 

11/01/2023

फर्द अहकाम

जागीर प्रदाय बनाम (गालचन्द

नाम न्यायालय उपरजुगु कपिलारी जीमन्ट

2022/292

केस संख्या 37/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/1/23	<p>पञ्जावली पेश हुई / आदेशिका दिनांक 11/1/23 की पालना में वकील अधिनमग द्वारा समग्र तलबना पेश नहीं किया गया है। न्यायालय में निहायतनी कानून अमल (रिज) जाकर समग्र तलबना पेश होने पर कोर्टे Reg. Av. जारी होकर पञ्जावली दिनांक 3/2/23 को पेश हो</p>	
	3/2/23	<p>पञ्जावली पेश हुई। वादी एवं उनके अभियन्ता अनुपस्थित। बार-बार याचने लगावें गई। पञ्जावली दि. 01/04/2021 से न्यायालय में पेश करने के पश्चात से ही तलबकी प्रतिवदीगठा में लम्बित है। वादी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी प्रतिवादी तलबकी हेतु समग्र तलबना पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लगे जा रही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी पक्षरों के प्रति गंभीर नहीं है।</p> <p>नतः वादी का वाद 04 RS CPC में स्थगित किया जाता है।</p> <p>पञ्जावली क्रमांक शुमार होकर नम्बर से कात होकर शखिल यन्तर हो।</p>	

03/02/2023  
 उपस्थण्ड अधिकारी  
 जयपुर